>

Title: Situation arising due to the notification issued by A&N Administration declaring Buffer Zone of 5 km radius around the Jarawa Tribal Reserves in Andaman Islands.

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जार्वा के संरक्षण के लिए समय-समय पर जार्वा एरिया को बढ़ाया गया, लेकिन जार्वा का संरक्षण नहीं हो रहा है। जार्वा भारत के अंडमान में दुनिया की एक ऐसी संपदा है, जिसे दिल्ली के कुछ लोग और अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी के अफसर लोग मिलकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह से खत्म करना चाहते हैं। दिल्ली में एसी में बैठकर अंडमान के जार्वा की क्या हालत बनायी है, मैं आपको बताता हूं। वर्ष 1957 में जार्वा के नाम पर 1,077 वर्ग किलोमीटर एरिया था, उसके बीच में अंडमान ट्रंक रोड गयी। वहां आपने देखा भी है कि वर्ष 2004 में जार्वा का एरिया घटकर 1,028 वर्ग किलोमीटर रह गया। वर्ष 1888 में जार्वा की कुल संख्या 1,250 थी। आज जार्वा 360 जीवित हैं। जार्वा एरिया को प्रोटेक्शन कौन देगा? यह वह एरिया है, जहां पर उचित मात्रा में प्रोटेक्शन फोर्स नहीं है। कुल एरिया 1,028 वर्ग किलोमीटर है, जबकि कांटैक्ट में 22 या 23 आदमी हैं। जार्वा में ओपन समुद्र है। वर्मा वहां अंदर घुस रहा है। जार्वा को मार रहा है। जार्वा का प्रोटेक्शन करने के लिए जो फोर्स बनायी गयी, स्टाफ एजीबीएस, उनकी तनख्वाह 8,500 रूपए है, जो दस साल से वहां काम कर रहे हैं। उनके पास न वेहिकल्स हैं, न मोटर साइकिल्स हैं, न शिप्स हैं, कुछ भी नहीं है। जार्वा एरिया में नाम का प्रोटक्शन है। वर्ष 2006 में 30 अक्टूबर को दिल्ली के कुछ लोगों ने एसी रूम में बैठकर, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी का चिंतन लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की चिंता की, तत्कालीन कांग्रेस के एमपी भक्त जी, पियरे मेंबर ने स्थानीय अंडमान अधिकारी से बिना सलाह किए बफर जोन बनाया। बफर जोन बनाकर आज अंडमान निकोबार में कितना एरिया है, नोटिफिकेशन वर्ष 2006 में हुआ, न उसे सरकार जानती है, न प्रशासन जानता है। मैं अंदाजे से कहता हूं कि छः हजार किलोमीटर बफर जोन में आ गया। इसका परिणाम मैं आपको बताता हूं। फरहरगंज तहसील में पांच पंचायत जिनके नाम तुस्नाबाद, फरहरगंज, वृंदावन, सोलबे, मनहरघट, कुल 17 गांव का एरिया चला गया, 10 हजार 154 हेक्टेयर जमीन जार्वा के अंदर बफर जोन में चली गयी। करीब-करीब दस हजार आबादी जार्वा में आ गयी। वह कौन सा एरिया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब पहला सेटलमेंट हुआ था, जब अखंड भारत था, उस समय सारे भारत के लोगों को पैनल सेटलमेंट में बैठाया गया था, वह गांव भी जार्वा एरिया में बफर जोन में आ गया, जिनके नाम कैटलगंज, आनिकेट, फरहरगंज हैं, वे भी जार्वा एरिया में आ गए। रंगत तहसील में एक आइलैंड का नाम बाराटांग था, जहां मुंडा, ओरांव ओर खड़ियां हैं, उनको आदिवासी का दर्जा नहीं मिला। दो पंचायत है - ओरॉलकच्चा और सुंदरगढ़, दोनों बफर जोन में दे दिए । उसके बाद उसी तहसील में और तीन पंचायत हैं, जहां ईस्ट बंगाल रिफ्यूजीज को लाया गया था, उनका सेटलमेंट कराया गया था।

कदमतला, उत्तरा, कौशल्यानगर पंचायत में 8 गांव तथा 7173 हैक्टेयर जमीन बफर जोन के नाम पर चली गया। मायाबंदर तहसील, चीन पंचायत - हरिनगर, चेनपुर, पालगांव और करीब छः गांव जारवाज़ के नाम पर चले गए जिसमें कुल जमीन 4073 हैक्टेयर थी। कुल मिलाकर अंडमान जिले में 13 पंचायत, 31 गांव, 6,900 हैक्टेयर रिवन्यू लैंड, जहां पैनल सैटलमैंट के लिए लोग बैठते हैं, करीब-करीब 21 हजार की आबादी को जारवाज़ में डाल दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जारवाज़ के नाम पर आपस में लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, खून-खराबा करेंगे। जारवाज़ के नाम पर दिल्ली के लोग जारवाज़ को मारना चाहते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि जो बफर जोन बनाया गया है, उसे तुंत हटाया जाए। मैंने 26 जुलाई की आईडीए स्टैंडिंग कमेटी में इसके बारे में चर्चा की और मांग भी की थी। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जारवाज़ एरिया में जो बफर जोन बनाया गया है, उसे तुंत वापिस लिया जाए।

मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि जारवाज़ एरिया के बारे में कुछ लोग दिल्ली में बैठकर बोलते हैं कि अंडमान ट्रंक रोड को बंद कर दो, अंडमान के लोग समुद्र के रूट से जाएंगे। संसद सदस्य अंडमान का दौरा करते हैं। वहां से हैवलॉक जाना पड़ता है। आपके प्रोग्राम में लिखा रहता है - सब्जैक्ट टू वैदर। अगर समुद्र में मौसम खराब होगा तो हैवलॉक नहीं जाएंगे। यदि समुद्र में 7 मीटर ऊंची लहरें आएंगी तो क्या लोग अंडमान जाएंगे? ऐसा कुछ लोग दिल्ली में बैठकर बोलते हैं।

इसलिए मैं मांग करता हूं कि अंडमान ट्रंक रोड में ममता जी द्वारा अपने बजट में दी गई रेल को दिगलीपुर से पोर्ट ब्लेटर तक ले जाई जाए। वहां नेशनल हाई वे बनाने की अनुमति दी जाए और अंडमान का जो एरिया बफर जोन में चला गया है, उस जमीन को वापिस अंडमान की रिवैन्यू लैंड में परिवर्तित करें। वहां से बफर जोन को तुंत हटाया जाए, यह मेरी मांग है।

श्री नारायणसामी, हमारे अंडमान-निकोबार की समस्या पर विशेष ध्यान दें। मैं नारायणसामी जी के पास गया था। वे बहुत प्रभावशाली मंत्री हैं, प्रधान मंत्री जी के राइट हैंड हैं। यदि वे अंडमान-निकोबार जाएं तो वहां जाने के बाद वे अगली बार केबिनेट मंत्री बन जाएंगे।